बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 330249 / पटना, दिनांक 25/09/17

ग्रा0वि0-6/सी.ए.-03-04/2016

प्रेषक,

राहुल रंजन महिवाल,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।
(बाँका, मधेपुरा, अररिया, खगड़िया, किशनगंज, अरवल, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर, सारण, पटना, भागलपुर, गोपालगंज, कटिहार, नालन्दा एवं वैशाली को छोड़कर)

विषय:- **ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं पूर्व में वर्षो के बकाए अंकेक्षण फीस के भुगतान के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि सभी जिलों के अंकेक्षण के अनुश्रवण के दौरान ज्ञात हुआ है कि आपके अभिकरण से संबंधित पूर्व वर्षो में हुए अंकेक्षण की फीस का पूर्णरूपेण भुगतान नहीं हुआ है । फलतः पिछले अंकेक्षण फर्मो द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है । इससे अंकेक्षण कार्य बाधित होगा एवं समय पर प्रतिवेदन प्राप्त करने में कठिनाई होगी ।

अतः अनुरोध है कि बकाया अंकेक्षण फीस के जितने भी मामले है, उनका अविलम्ब निष्पादन किया जाय । जिस योजना का अंकेक्षण किया गया है, उसका भुगतान उस योजना के प्रशासनिक /आकास्मिकता मद से किया जा सकता है । यदि किसी मामले में प्रतिवेदन लंबित हो तो संबंधित अंकेक्षण फर्म के साथ वार्ता कर उसका निराकरण किया जाय तथा नियमानुसार देय फीस का अविलम्ब भुगतान करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित अंकेक्षण दल से प्राप्त किया जाय । साथ ही दस दिनों के अंदर कार्यान्वयन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन,

25.9.17

(राहुल रंजन महिवाल)
सरकार के अपर सचिव